

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

राजस्व वाद संख्या 22/2012

1. नवरतन पुत्र श्री रामेश्वर जाति रैगर, निवासी ग्राम धानक्या, तहसील व जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र श्री हीरा लाल जाति रैगर निवासी ग्राम धानक्या, तहसील व जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. चौथु पुत्र श्री झुथा जाति रैगर निवासी ग्राम धानक्या तहसील व जिला जयपुर।
2. लाला पुत्र गोपी (मृतक)
2/1 श्रीमती ग्यारसी पत्नी लालाराम
2/2 सन्तोष पुत्री लालाराम
2/3 रमेश पुत्र लालाराम
2/4 दीपचन्द उर्फ पप्पू पुत्र लालाराम
2/5 रूपचन्द पुत्र लालाराम
2/6 गयाचन्द पुत्र लालाराम
2/7 दीपक पुत्र लालाराम
2/8 ज्योति पुत्री लालाराम
2/9 गुल्लू पुत्र लालाराम
समस्त जाति रैगर निवासी धानक्या हाल निवासी ग्राम रामराजपुरा राकड़ी, तहसील व जिला जयपुर।
3. भगवान सहाय पुत्र स्व० श्री बंशी जाति रैगर निवासी ग्राम धानक्या तहसील व जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार पंचम जयपुर कलेक्ट्रेट जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:-17/01/2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार राजस्व ग्राम नन्दगांव, पटवार हल्का धानक्या, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुण्डियारामसर, तहसील/जिला जयपुर में स्थित आराजीयात ख०न० 67 श० नं० 68 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा व आराजी ख०न० 69 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा स्थित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का वाद है।

यह है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित न्याय आपके द्वार कैम्प 2017 अन्तर्गत उनवानी वाद पत्रावली पेश होने पर अवलोकन किया गया। उनवानी वाद विभाजन का वाद होने पर दिनांक 16.06.17 को वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा मुताबिक डिक्री के तहसीलदार जयपुर से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार जयपुर द्वारा पत्रांक भू०अ०/कोर्ट/2018/1748 दिनांक 16.04.18 के संगलक कुर्रेजात प्रस्ताव प्रेषित किये गये। तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों को शामिल किये गये।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा वाद पत्र में तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रजात प्रस्तावों पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन व नक्शा ट्रेस का भी अवलोकन किया गया। न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ मय शपथ पत्रानुसार वादीगण द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं में सत्यता है तथा वह पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात् का विभाजन चाहता है। अतः तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रजात प्रस्तावों के वादीगण का वाद निस्तारित किया जाता है। तथा पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात् का निम्नानुसार किया जाता है।

क्र सं	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1		चौथु पत्र झुंथा कौम रैगर सा0 धानक्या	67/7 शा0 न0 68 69/1	1.08 1.07	बारानी 3 बारानी 3	1.38
		योग	2	2.15		
2		नवरत्न पुत्र रामेश्वर हि0 12146/16500 जाति रैगर नि0 कालू की ढाणी ग्राम मुडियारामसर जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल हि0 1833/16500 लाला पुत्र गोपी हि0 1833/16500 भगवान सहाय पुत्र बंशी हि 688/16500 कौम रैगर सा0 धानक्या ग्राम	67/1 शा0 न0 68 67/2 शा0 नं0 68 67/3 शा0 न0 68 67/4 शा0 न0 68 67/5 शा0 न0 68 67/6 शा0 न0 68 69	0.17 0.09 1.17 0.18 0.06 0.10 3.08	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	4.13
		योग	7	08.05		

उपर्युक्त अनुसार वादग्रस्त आराजी का पक्षकारों के मध्य विभाजन करें तथा अलग-अलग खाते कायम कर लगान का भी निर्धारण करें।

आज दिनांक 17.01.19 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

अंतिम-डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाफ़ा दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी प्रथम, जयपुर मुकाम जयपुर.....

व अलजास हर्षित वर्मा RAS

..... नवरत्न वनाम चौथु वगै०

दावा बाबत - विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा.....


मुकदमा नं. 22 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुवरु व हाजरी मिनजामिन मुददई रुवरु

मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम नन्दगांव, पटवार हल्का धानक्या, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुण्डियारामसर, तहसील/जिला जयपुर में स्थित आराजीयात ख०न० 67 श० नं० 68 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा व आराजी ख०न० 69 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा स्थित है। तहसीलदार जयपुर द्वारा पत्रांक भू०अ०/कोर्ट/2018/1748 दिनांक 16.04.18 के संगलक कुर्रैजात प्रस्ताव प्रेषित किये गये। अतः तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रैजात प्रस्तावों के वादीगण का वाद निस्तारित किया जाता है तथा पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात् का निम्नानुसार किया जाता है। (शेष पृष्ठ 2 पर) निज..... मबलिक..... वाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक को अदा करें।

वसूलियाव तक को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.01 सन् 2019 को जारी किया गया।



दस्तखत
उप खण्ड अधिकारी
जयपुर
 ओहदा

	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
रआम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अर्जी		
रआम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	--	
फीस कमिश्नर	--		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	4	00	मीजान		

.....
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर प्रथम, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

वाद संख्या:- 22/2012

क्र सं	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1		चौथु पत्र झुंथा कौम रैगर सा0 धानक्या	67/7 शा0 न0 68 69/1	1.08 1.07	बारानी 3 बारानी 3	1.38
		योग	2	2.15		
2		नवरत्न पुत्र रामेश्वर हि0 12146/16500 जाति रैगर नि0 कालू की ढाणी ग्राम मुडियारामसर जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल हि0 1833/16500 लाला पुत्र गोपी हि0 1833/16500 भगवान सहाय पुत्र बंशी हि 688/16500 कौम रैगर सा0 धानक्या ग्राम	67/1 शा0 न0 68 67/2 शा0 नं0 68 67/3 शा0 न0 68 67/4 शा0 न0 68 67/5 शा0 न0 68 67/6 शा0 न0 68 69	0.17 0.09 1.17 0.18 0.06 0.10 3.08	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	
		योग	7	08.05		



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर